UPSR010007552021

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट),
––––––––––––––––––––श्रावस्ती।––––––––––––––––––––

पीठासीन अधिकारी– (सुदामा प्रसाद), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) I.D– UP–5963

विशेष परिवाद संख्या–36/2021

जगप्रसाद उम्र 55 वर्ष पुत्र देवतादीन निवासी घुमना, दा०–गोडधोई, पो० रामगढ़ी, थाना–कोतवाली भिनगा, जनपद–श्रावस्ती। ––––––––––––प्रार्थी।

बनाम

1– सुखराम पुत्र तीरथ

2– रिंकू पुत्र मनोहर

3– पिन्टू पुत्र मनोहर

4– किशोर पुत्र कंधईलाल

निवासीगण साकिनान–सेमरा, थाना–कोतवाली भिनगा, जनपद–श्रावस्ती।

––––––––– विपक्षीगण।

दिनांकः–13–04–2022

आदेश तलबी

परिवादी जगप्रसाद ने धारा–156(3) दं०प्र०सं० का आवेदन इस आशय से दिया था कि दिनांक 24–04–2021 को विपक्षी सुखराम रात्रि 12–1 बजे के बीच आवेदक की नाबालिग लडकी पीडिता उम्र 14–15 वर्ष के साथ आशनाई हरामकारी करने के लिए विपक्षीगण रिंकू, पिन्टू, किशोर को घर के बाहर खडाकर उनके सहयोग से घर में घुसकर पीडिता का हाथ पकडकर बाहर घसीटने का प्रयास करते हुए छेडछाड अश्लील हरकत करने लगा। लडकी की आंख खुल गयी व चिल्लायी तो विपक्षीगण उपरोक्त भाग गये तथा जाते हुए गाली गुप्ता व जान माल की धमकी दिया। थाने पर सूचना दी गयी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय के आदेश दिनांक 16–08–2021 के अनुक्रम में परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर किया गया है।

परिवादी द्वारा धारा–200 दं०प्र०सं० अपना बयान व धारा–202 दं०प्र०सं० पी०डब्लू–1 पीडिता, पी०डब्लू–2 मालिकराम, पी०डब्लू–3 रामअचल का बयान अंकित कराया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची बी–6/1 से बी–6/2 ता बी–6/3 आधार कार्ड की छायाप्रति, बी–6/4 पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, बी–6/5 राज्य महिला आयोग को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, बी–6/6

डी०आई०जी० को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, सूची बी–8/1 में पीडिता का अंकपत्र पत्रावली में दाखिल किया गया है।

मैंने परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

दौरान बहस परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि बरवक्त घटना अभियुक्त सुखराम परिवादी जगप्रसाद के घर में घुसकर परिवादी की लडकी के साथ छेडछाड किया सहःअभियुक्तगण रिंकू, पिन्टू व किशोर घर के बाहर खडे होकर उसका सहयोग कर रहे थे। लडकी के शोर पर विपक्षीगण गाली–गुप्ता व जान माल की धमकी देते हुए भाग गये। घटना को गवाह मालिकराम व रामअचल ने देखा तथा अपने–अपने बयान में घटना का समर्थन किया है। अतः अभियुक्तगण को विचारण हेतु सम्मन किया जाये।

परिवाद में परिवादी जगप्रसाद ने अपनी लडकी पीडिता को नाबालिग बताया है तथा उसकी जन्मतिथि 01–01–2007 बतायी है उक्त के सम्बन्ध में परिवाद में दाखिल प्रलेख बी–8/2 पीडिता के कक्षा–2 के अंकपत्र के अनुसार पीडिता की जन्मतिथि 25–04–2009 अंकित है जिसके अनुसार पीडिता का घटना दिनांक 24–04–2021 को अवयस्क होना साबित है। उक्त के अलावा परिवादी ने लडकी के साथ घर में घुसकर छेडछाड करने का आरोप मुख्य रूप से विपक्षी सुखराम पर लगाया है शेष विपक्षीगण रिंकू, पिन्टू व किशोर द्वारा घर के बाहर खडे होकर सहयोग करने का कथन किया है तथा लडकी की आँख खुल जाने पर उसके शोर करने पर विपक्षीगण द्वारा गाली गुप्ता व जान माल की धमकी देते हुए भाग जाने का कथन किया है।

धारा–200 दं०प्र०सं० परिवादी जगप्रसाद, धारा–202 दं०प्र०सं० पी०डब्लू–1 पीडिता, पी०डब्लू–2 मालिकराम, पी०डब्लू–3 रामअचल ने अपने अपने बयान में मुल्जिमान द्वारा घर में घुसकर पीडिता के साथ छेडछाड करने तथा गाली–गुप्ता व जान माल की धमकी देते हुए भाग जाने का कथन किया है।

परिवाद में मुख्य रूप से अभियुक्त सुखराम पर पीडिता के साथ अश्लीलता करने का कथन किया गया है शेष मुल्जिमान रिंकू आदि को घर के बाहर खडे होकर रखवाली करने का कथन किया गया है बाद में पीडिता के शोर पर सभी मुल्जिमान द्वारा गाली गुप्ता व जान माल की धमकी देते हुए भाग जाने का कथन किया है। विपक्षी संख्या–2 रिंकू व विपक्षी संख्या–3 पिन्टू आपस में सगे भाई हैं। सामान्यतः दो सगे भाईयों द्वारा एक साथ किसी एक लडकी के साथ अश्लीलता कारित किया जाना या अश्लील कार्य में किसी का साथ देना सम्भव नहीं लगता है कोई भी दो सगे भाई अथवा पिता पुत्र अन्य कोई अपराध एक साथ कर सकते है परन्तु लैंगिक अपराध एक साथ करने में उन्हें शर्म व संकोच आवश्य आयेगी। ऐसे में दो सगे भाईयों द्वारा एक लडकी के साथ अश्लीलता कारित करना सम्भव नहीं है। विपक्षी संख्या–4 किशोर को भी परिवादी द्वारा अनावश्यक तौर पर प्रश्नगत मामले में अभियोजित करने का आशय लगता है।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर केवल अभियुक्त सुखराम को धारा–354(क) भा०दं०सं० व धारा–7/8 पॉक्सो अधिनियम विचारण हेतु सम्मन करना उचित है।

तद्नुसार अभियुक्त सुखराम को धारा–354(क) भा०दं०सं० व धारा–7/8 पॉक्सो अधिनियम विचारण हेतु सम्मन किया जाता है। परिवादी आवश्यक पैरवी 7 दिन के अन्दर करे। बादहू अभियुक्त सुखराम को सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी मुल्जिम दिनांक 18–05–2022 को पेश हो।

दिनांक 13–04–2022

(सुदामा प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट), श्रावस्ती।

UPSR010007552021

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट), ––––––––––––––––––––श्रावस्ती।––––––––––––––––––––

पीठासीन अधिकारी– (सुदामा प्रसाद), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) I.D– UP–5963

विशेष परिवाद संख्या–36/2021

जगप्रसाद उम्र 55 वर्ष पुत्र देवतादीन निवासी घुमना, दा०–गोडधोई, पो० रामगढ़ी, थाना–कोतवाली भिनगा, जनपद–श्रावस्ती। ––––––––––––प्रार्थी।

बनाम

1– सुखराम पुत्र तीरथ

2– रिंकू पुत्र मनोहर

3– पिन्टू पुत्र मनोहर

4– किशोर पुत्र कंधईलाल

निवासीगण साकिनान–सेमरा, थाना–कोतवाली भिनगा, जनपद–श्रावस्ती।

––––––––– विपक्षीगण।